# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

**पीठासीन अधिकारी :– अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.**

प्रकरण संख्या 59/2023

ओमप्रकाश पुत्र लालचन्द जाति जाट साकिन प्रेमपुरा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ राजस्थान।

प्रार्थी

बनाम

1. राहुल पुत्र कृष्णलाल | जाति जाट साकिन प्रेमपुरा
2. विक्रम कुमार पुत्र कृष्णलाल | तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ राजस्थान ।
3. रमन ढुकिया पुत्र ओमप्रकाश जाति जाट साकिन 9 एसबी मोटारासर हाल प्रेमपुरा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा ।

अप्रार्थीगण

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–क राजस्व काश्तकारी अधिनियम**

**–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–**

| | |
|---|---|
| 1. श्री जगराज सिंह भारी | प्रार्थी |
| 2. श्री कुलदीप सिंह धालीवाल | अप्रार्थी संख्या 1 व 2 |
| 3. श्री कमलेश कुमार | अप्रार्थी संख्या 3 |
| 3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीलीबंगा | अप्रार्थी संख्या 4 |

**–:: निर्णय ::–**

**दिनांक :–** 18/10/24

प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से **अन्तर्गत धारा 251–क राजस्व काश्तकारी अधिनियम** अप्रार्थीगण के विरूद्ध अधिवक्ता श्री जगराज सिंह भारी के द्वारा प्रस्तुत किया गया है प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि यह कि प्रार्थीया एवं अप्रार्थीगण का पंजीकृत पता वहीं है जो उक्त प्रार्थना पत्र के शीर्षक में अंकित है।

यह कि प्रार्थी के नाम कृषि भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 22 पीबीएन के खाता सं. 163/119 के प.नं. 16/328 (17) किला नं. 3/2, 20 ता 24, 25/1, 25/2 की 1.555 हैक. नहरी मय रास्ता खातेदारी दर्ज रिकार्ड वाके है।

यह कि प्रार्थी के नाम मु. खाता में कृषि भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 22 पीबीएन के खाता सं. 161/119 के प.नं. 15/328 (18) किला नं. 20/2, 21, प.नं. 16/328 (17) किला नं. 1, 2, 3/1, 8 ता 13, 16/3, 17/1 की कुल 2.555 हैक. नहरी खातेदारी में 5/511 हिस्सा दर्ज रिकार्ड वाके है।

यह कि अप्रार्थी सं. 3 के नाम कृषि भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 22 पीबीएन के खाता सं. 162/119 के प.नं. 16/328 (17) किला नं. 16/2, 16/4, 17/2, 18, 19 की 0.975 हैक. नहरी मय रास्ता खातेदारी दर्ज रिकार्ड वाके है।

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 1 में वर्णित कृषि भूमि के प.नं. 16/328 (17) किला नं. 3/2 की 0.037 हैक. में प्रार्थी का टयुबवैल मय विधुत कनैक्शन लगा हुआ है। प्रार्थना पत्र की दफा 1 में वर्णित शेष किला नं. 20 ता 25 की कृषि भूमि में प्रार्थी के पास सिचांई के पर्याप्त साधन नही है। इसलिये प्रार्थी अपने नाम कृषि भूमि के प.नं. 16/328 (17) के किला नं. 3/2 में लगे टयुबवैल विधुत कनैक्शन से पाईप लाईन प. नं. 16/328 (17) के किला नं. 8, 13, 18 में बजानिब पूर्व दिशा में उतर से दक्षिण लम्बी पाईप लाईन जमीन में 4 फीट नीचे दबाकर अपने किला नं. 25 तक ले जाना चाहता है जिससे प्रार्थी की कृषि भूमि के किला नं. 20 ता 25 में सिचांई सुविधा प्राप्त हो सकेगी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2024.10.22 12:21:44 IST
Reason: SelfAttested

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 2 में प्रार्थी का अप्रार्थी सं. 1 व 2 के साथ मुश्तरका खाता है जिसमें प्रार्थी की 5/511 हिस्सा यानी 0.025 हैक. कृषि भूमि दर्ज रिकार्ड है। जिसका कब्जा किला

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

नं. 8 में किला नं. 7 के चिपते ही, किला नं. 13 में किला नं. 14 के चिपते ही 0.01265 0.01265 हैक. कब्जा है। प्रार्थी किला नं. 8, 13 में अपने कब्जा में से ही पाईप लाईन स्वीकृत करवाना चाहता है चूंकि किला नं. 8, 13 मुश्तरका खाता में अप्रार्थी सं. 1 व 2 के साथ दर्ज है इसलिये अप्रार्थी सं. 1 व 2 को पक्षकार बनाया गया है। किला नं. 18 की भूमि अप्रार्थी सं. 3 के नाम दर्ज है। प्रार्थी के पास अपनी अन्य कृषि भूमि में सिचांई की सुविधा नही है इसलिये प्रार्थी चक 22 पीबीएन के प. नं. 16/328 (17) के किला नं. 3/2 में लगे टयुबवैल विधुत कनैक्शन से पाईप लाईन प.नं. 16/328 (17) के किला नं. 8, 13, 18 में बजानिब पूर्व दिशा में उत्तर से दक्षिण लम्बी पाईप लाईन जमीन में 4 फीट नीचे दबाकर अपने किला नं. 23 तक पाईन लाईन स्वीकृत करवाना चाहता है।

यह कि अप्रार्थी सं. 4 जो कि भू धारक है इसलिये उसे आवश्यक पक्षकार बनाया है। यह कि प्रार्थना पत्र श्रीमान् न्यायालय के क्षेत्राधिकार एंव श्रवणाधिकार का है जो उचित कोर्ट फीस पर तहरीर एवं अन्दर मियाद है।

प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी के नाम दर्ज कृषि भूमि के चक 22 पीबीएन के प.नं. 16/328 (17) के किला नं. 3/2 में लगे टयूबवैल विधुत कनैक्शन से पाईप लाईन प्रार्थी व अप्रार्थीगण के नाम दर्ज भूमि की भूमि के प.नं. 16/328 (17) के किला नं. 8, 13, 18 में बजानिब पूर्व दिशा में उत्तर से दक्षिण लम्बी पाईप लाईन जमीन में 4 फीट नीचे दबाकर अपने किला नं. 23 तक पाईप लाईन की स्वीकृति प्रदान की जावे ।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर सरिस्ता रिपोर्ट बाद दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को तलबी हेतु नोटिस जारी किये गए। अप्रार्थी संख्या 3 की ओर से श्री कमलेश कुमार अधिवक्ता द्वारा वकालतनामा व इकबाल दावा प्रस्तुत किया गया है शामिल पत्रावली है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से श्री कुलदीप सिंह धालीवाल अधिवक्ता द्वारा वकालतनामा व जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया शामिल पत्रावली है जवाब प्रार्थना पत्र अप्रार्थी संख्या 1 व 2 संक्षिप्त रूप से निम्नानुसार है कि यह कि प्रार्थना पत्र की चरण स. 1 सत्य होने से स्वीकार है।

यह कि प्रार्थना पत्र की चरण स.2 में वर्णित कथन जिस प्रकार दर्ज किये है असत्य होने से अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र की चरण स.2 में वर्णित चक 22 पीबीएन के प.न. 16/328 (17) के किला न.3/2, 20 ता 24, 25/1, 25/2 की 1.555 हैक. भूमि सहित चक 22 पीबीएन के प.न. 15/328 (18) के किला न. 20/2, 21 व प.न. 16/328 (17) के किला न. 1 ता 3, 8 ता 13, 16 ता 25 की 5.085 हैक. भूमि प्रार्थी के पिता लालचन्द पुत्र अणची पत्नी कानाराम के नाम दर्ज थी। लालचन्द ने अपने नाम दर्ज भूमि में से चक 22 पीबीएन के प.न. 16/328 के किला न. 3/037,20 ता 25 की 1.555 हैक. भूमि का दान प्रार्थी के पक्ष में दिनांक 12.09.2019 को निष्पादित किया। लालचन्द ने अपने नाम दर्ज भूमि में से चक 22 पीबीएन के प.न. 16/328 (17) के किला न. 1, 2, 3/216, 8 ता 13,16/018, 17/019 की 2.277 हैक. व प.न. 15/328 (18) के किला न. 20/2/025, 21 की कुल 0.278 हैक. भूमि सहित कुल 2.555 हैक. भूमि का दान अप्रार्थी स. 1 व 2 के पक्ष में दिनांक 12.06.2020 को निष्पादित किया गया, परन्तु राजस्व रिकार्ड में गलती से प्रार्थी के नाम प.न.16/328 (17) का किला न. 3/2 व अप्रार्थी स. 1 व 2 के नाम प.न. 16/328 (17) का किला न. 3/1 की भूमि दर्ज की गई।

यह कि प्रार्थना पत्र की चरण स 3 में वर्णित असत्य होने से अस्वीकार है। प्रार्थी के नाम चक 20 पीबीएन के प.न. 16/328(17) के किला न. 3/1 की सयुक्त खाते की भूमि कभी नही रही उक्त सयुक्त खाते की भूमि के राजस्व रिकार्ड में प.न.16/328 (17) के किला न. 3/1 गलत दर्ज हो गया है उक्त भूमि का कभी किसी रूप में विभाजन होकर किला नं. 3 का कोई भाग न तो कभी अप्रार्थी स. 1 व 2 को प्राप्त हुआ था। अप्रार्थी स. 1 व 2 को जरिये दान पत्र दिनांक 12.06.2020 को अपने दादा लालचन्द से प्राप्त हुई भूमि में प.न. 16/328(17) का किला नं. 3/216 हैक. भूमि प्राप्त हुई थी। परन्तु राजस्व रिकार्ड में सहबन से इन्तका[illegible]रते समय किला न. 3/1 गलत दर्ज हो गया। यह कि प्रार्थना पत्र की चरण स. 3 द्विती[illegible] वर्णि[illegible] कथन जिस प्रकार प्रार्थी ने दर्ज किये है उसके सम्बंध में अप्रार्थी स. 1 व 2 को कोई जानका[illegible] है जिसको सिद्व करने का भार प्रार्थी पर है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2024.10.22 12:21:44 IST
Reason: SelfAttested

यह कि प्रार्थना पत्र की चरण स.4 में वर्णित कथन [illegible]त्य होने से अस्वीकार है। प्रार्थी का यह कथन पूर्ण रूप से असत्य है कि प.न. 16/328 (17) के किला न. 3/2 की 0. 0.37 हैक. भूमि में प्रार्थी का टयूबैल लगा हो जिसका विद्युत कनैक्शन अकेले प्रार्थी के नाम से हो प्रश्नगत भूमि पूर्व में प्रार्थी के पिता व अप्रार्थीगण के दादा लालचन्द पुत्र चोथूराम के नाम दर्ज थी। लालचन्द द्वारा अपने जीवनकाल में ही अपनी सम्पतियो का बंटवारा करके अपनी सन्तानों को भूमि का कब्जा सुपूर्द कर दिया गया। लालचन्द द्वारा चक 22 पीबीएन के प.न. 16/328(17) के किला न. 3 में अपनी

सहायक कलेक्टर एवं ... अधिकारी पीलीबंगा

समस्त भूमि की समुचित रूप से सिंचाई व भरपुर फसल प्राप्त करने के लिए अपनी सयुक्त परिवार की आय से परिवार का कर्ता होने के नाते टयुबैल लगाकर अपने नाम से विद्युत कनैक्शन प्राप्त किया था। लालचन्द द्वारा किये गये परिवारीक बटवारे के पश्चात लालचन्द के नाम लगे विद्युत सचालित टयुबैल से प्रार्थी व अपार्थीगण उक्त टयुबैल का सयुक्त रूप से उपयोग करते हुए अपनी भूमि मे टयुबैल से सिंचाई करते हुए चले आ रहे है तथा टयुबैल की मरम्मत व विद्युत खर्चा भी प्रार्थी व अपार्थीगण सयुक्त रूप से वहन करते हुए चले आ रहे है। प्रार्थी का यह कथन पूर्ण रूप से असत्य है कि प्रार्थी को दान मे दी गई प.न. 16/328 (17) के किला न. 3/.037 हैक. भूमि पर ही लालचन्द के नाम से पूर्व मे टयुबैल लगा हो बल्कि लालचन्द के नाम से लगा टयुबैल प्रार्थी व अपार्थीगण की सयुक्त खाते की प.न. 16/328 (17) के किला न. 3/216 है. भूमि टयुबैल लगा हुआ है जिसका किसी रूप मे कोई बंटवारा नही हुआ है। प्रार्थी के पिता लालचन्द ने कभी भी प्रश्नगत भूमि के किला न.3 मे लगा हुआ टयुबैल प्रार्थी अकेले को किसी रूप में नही दिया गया। प्रार्थी ने अपने पिता वृद्व लालचन्द की वृद्वावस्था का लाभ उठाते हुए विद्युत विभाग के कर्मचारीयों से मिलीभगत होकर लालचन्द के नाम विद्युत कनैक्शन अकेले अपने नाम दर्ज करवा लिया। लालचन्द के नाम विद्युत कनैक्शन को अपने नाम करवाने के लिए प्रार्थी ने फर्जी स्टाम्प जोकि किसी लालचन्द पुत्र छोटूराम के स्टाम्प का जिसके स्टाम्प विक्रय की दिनांक दर्ज नही है का उपयोग करते हुए राजकुमार पुत्र गंगाराम जाति जाट निवासी प्रेमपुरा से मिलीभगत होकर लालचन्द के फर्जी हस्ताक्षर करके लालचन्द पुत्र चोथूराम का फर्जी सहमति पत्र तैयार किया व उक्त फर्जी सहमति पत्र के आधार पर लालचन्द पुत्र चोथूराम के नाम चल रहा टयुबैल विद्युत कनैक्शन जिसका विद्युत खाता स.2337/0062 एवं ज्ञ. सख्या 310214022102 लालचन्द की सहमति के बिना ही अकेले अपने नाम विद्युत विभाग के रिकार्ड में करवा लिया। उक्त प्रकरण मे प्रार्थी का पिता व अप्रार्थीगण का दादा लालचन्द पुत्र कानाराम जाति जाट निवासी प्रेमपुरा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ को सूना जाना आवश्यक है। प्रार्थी द्वारा फर्जकारी करके अपने नाम करवाये गये, लालचन्द के नाम के विद्युत कनैक्शन का किसी भी रूप में स्वामी नही हो गया होने से प्रार्थी प.न. 16/328 (17) के किला न 3 में लगे टयुबैल से प.न. 16/328 (17) के किला न. 8, 13, 18 में पूर्व दिशा में उतर से दक्षिण किला न. 23 तक कोई पाईप लाईन जमीन के नीचे दबाकर ले जाने का अधिकारी नही है। प्रार्थी भूमि के नीचे पाईप लाईन दबाकर अप्रार्थीगण को टयुबैल से हो रही सिंचाई सुविधाओ से वंचित करना चाहता है जिसका उसको किसी रूप अधिकार प्राप्त नही है ।

यह कि प्रार्थना पत्र की चरण स 5 में प्रार्थी ने जिस प्रकार कथन दर्ज किये है असत्य होने से अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र की चरण स.2 में वर्णित भूमि किसी रूप में प्रार्थी व अप्रार्थी स. 1 व 2 के साथ सयुक्त खाते की भूमि नही है न ही प्रार्थी का प्रार्थना पत्र की चरण स.2 में वर्णित भूमि में किसी रूप में 5/511 हिस्सा भूमि दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थी का यह कथन भी पूर्ण रूप से असत्य है कि प्रार्थी का प.न. 16/328 (17) के किला न. 8 में किला न. 7 के चिपते व किला न. 1 3 में किला न.14 के चिपते 0.01265 हैक. – 0.01265 हैक. भूमि पर किसी रूप में कब्जा हो तथा प्रार्थी अपने कब्जे के ही किला न. 8,13 में ही पाईप लाईन स्वीकृत करवाना चाहता हो। प.न. 16/328 (17) के किला न. 8, 13 प्रार्थी व अप्रार्थी स. 1 व 2 की सयुक्त खातेदारी भूमि है जिसके किला न. 8 व 13 के किसी भी भाग पर प्रार्थी अकेला का किसी रूप में कब्जाकाश्त नही है। अप्रार्थी स. 1 व 2 ने अपनी भूमि पंजाब नैशनल बैक के पक्ष रहन रखी हुई होने से बैंक व प्रार्थी का पिता लालचन्द पुत्र कानाराम जाति जाट निवासी प्रेमपुरा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ उक्त प्रकरण मे आवश्यक पक्षकार था जिसको प्रार्थी द्वारा हस्तगत प्रकरण में किसी रूप में पक्षकार संयोजित नही किया गया है। प्रार्थी प.न.16/328 (17) के किला न. 3/216 में संचालित विद्युत कनैक्शन जो कि प्रार्थी व अप्रार्थीगण की सयुक्त सम्पति है का किसी भी रूप में अकेला मालिक नही होने से प्रार्थी उक्त टयुबैल से प.न. 16/328 (17) के किला न. 8, 13, 18 के पूर्व दिशा में उतर से दक्षिण लम्बी पाईप लाईन भूमि के निचे दबाकर ले जाने का अधिकारी नही है।

Signature Not Verified

प्रार्थना पत्र की चरण स.6 में प्रार्थी ने कथन दर्ज [illegible] है [illegible]य होने से अस्वीकार है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में पंजाब नैशनल [illegible] जाति जाट निवासी प्रेमपुरा तहसील पीलीबंगा जिला [illegible] है जिसे प्रार्थी द्वारा हस्तगत प्रकरण में पक्षकार संयोजित नही किया गया है।

Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2024.10.22 12:21:44 IST
Reason: SelfAttested

यह कि प्रार्थना पत्र की चरण स. 7 में प्रार्थी ने कथन दर्ज किये है असत्य होने से अस्वीकार है। प्रार्थी ने अपने पिता लालचन्द के नाम से चल रहे विद्युत कनैक्शन को फर्जी दस्तावेजो के आधार पर अपने नाम दर्ज करवाया होने से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र श्रीमान जी के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का नही होने से खारिज होने योग्य है।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किया गया प्रार्थना पत्र विधिविरूद्व पेश किया गया होने से मय खर्चा खारिज किये जाने की कृपा की जावें । श्रीमान् जी की अति कृपा होगी।

प्रकरण में तहसीलदार पीलीबंगा से पत्रांक 660 दिनांक 04.09.2024 से जांच रिपोर्ट प्राप्त की गई मुताबिक रिपोर्ट अनुसार उक्त प्रकरण प्रार्थी औमप्रकाश पुत्र लालचन्द ने जिसकी – अभिलेख कृषि भूमि चक 22 पीबीएन में स्थित है। पाइप लाइन डालने हेतु स्वीकृति लेने बाबत् प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। मौके पर प्रार्थी से पूछताछ करने पर बताया गया कि हमारा आपसी समझौता हो गया है और पाइप लाइन दबा दी गई है। अतः प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जावे।

प्रकरण में बहस उभय पक्ष सुनी गई बहस में अधिवक्ता उभय पक्ष द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने हेतु सहमती व्यक्त की गई एवं मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार पीलीबंगा प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण में समझोता हो गया है इस अधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकृत किया जाना उचित प्रतीत होता है।

## –आदेश–

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत साक्ष्यों, दस्तावेजो व तहसीलदार पीलीबंगा का अवलोकन व अध्ययन किया गया। तहसीलदार पीलीबंगा की रिपोर्ट के आधार पर एवं प्रस्तुत दस्तावेजों शपथ पत्र व बहस में उभय पक्ष अधिवक्ता द्वारा सहमती के आधार पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251–क स्वीकार किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकृत कर प्रार्थी के नाम दर्ज कृषि भूमि के चक 22 पीबीएन के प.नं. 16/328 (17) के किला नं. 3/2 में लगे टयूबवैल विधुत कनैक्शन से पाईप लाईन प्रार्थी व अप्रार्थीगण के नाम दर्ज भूमि की भूमि के प.नं. 16/328 (17) के किला नं. 8, 13, 18 में बजानिब पूर्व दिशा में उत्तर से दक्षिण लम्बी पाईप लाईन जमीन में 4 फीट नीचे दबा कर किला नं. 23 तक पाईप लाईन की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो । आदेश को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में दिनांक 18/10/24 सुनाया गया।

(अमिता बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा

Signature Not Verified

Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2024.10.22 12:21:44 IST
Reason: SelfAttested